8

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निग० 3611-पी/2015

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला जबलपुर

गणेश प्रसाद गौड पिता रामधीन गौड
निवासी म.नं. 947 गली नं. 19
सदर कैन्ट तहसील व जिला जबलपुर ---- आवेदक

विरुद्ध

1- श्री अरुण प्रताप सिंह पिता अवधेश प्रताप सिंह
निवासी एस.एफ. 87, सुखसागर वैली
ग्वारीघाट जबलपुर

2- श्री हरिराम पटेल पिता मुन्नालाल पटेल
निवासी रेतनाका के पास
ग्वारीघाट पुरानी बस्ती
तहसील व जिला जबलपुर

3- म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर ---- अनावेदकगण

श्री ...... द्वारा आज दि. 4.11.15 को प्रस्तुत
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 366/अ-21/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 20-07-15 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत निगरानी ।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3611-एक/15 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-4-16	प्रकरण का अवलोकन किया । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 366/अ-21/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 20-7-15 से परिवेदित म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के तहत पेश की गई है । 2- आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अपने भूमिस्वामित्व की ग्राम छिवलहा प.ह.नं. 26/16 स्थित भूमि खसरा नं. 203/1 रकबा 0.259 हैक्टर भूमि अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 को विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में दिया गया । जिस पर से कलेक्टर द्वारा प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त किये गये । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत आलोच्य आदेश द्वारा आवेदक का आवेदन कलेक्टर द्वारा इस आधार पर निरस्त किया गया है कि भूमि एक तरह से निवेश की वस्तु होती है । आवेदित भूमि ग्राम के पहुंच मार्ग की पक्की सड़क से लगकर स्थित होने के कारण उसकी कीमत बढ़ने की पूरी संभावना है । कलेक्टर का भूमि की कीमत भविष्य में आगे बढ़ने संबंधी निष्कर्ष अपने स्थान पर उचित हो सकता है किंतु उक्त संभावना के आधार पर उनका	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	निष्कर्ष न्यायिक एवं विधिक दृष्टि से सही नहीं है क्योंकि संहिता में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि यदि भूमि पहुंच मार्ग के निकट स्थित हो अथवा भविष्य में उसकी कीमत बढ़ने की संभावना हो तो उसके विक्रय की अनुमति नहीं दी जा सकती । प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में स्पष्ट किया गया है उक्त भूमि आवेदक द्वारा क्रय की हुई भूमि है शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है । प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदक केन्द्रीय सुरक्षा विभाग की सिविलियन शाखा का सेवानिवृत्त अधिकारी है तथा उसे मासिक पेंशन 20,468/- प्राप्त हो रही है । प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय उपरांत आवेदक के पास 2.842 हैक्टर भूमि शेष रहेगी याने आवेदक के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि में सिंचाई का कोई साधन निर्मित नहीं है । प्रतिवेदनों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आवेदक को उचित बाजार मूल्य प्राप्त हो रहा है । प्रकरण में चूंकि तहसीलदार एवं एस.डी.ओ. द्वारा जांच उपरांत आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने की अनुशंसा के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए हैं इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए यह पाया जाता है कि आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति दिए जाने में उसके आर्थिक हितों का हनन नहीं होगा । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 20-7-15 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । चूंकि आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि अनावेदक क्रमांक 1 श्री अरूण प्रताप	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 3611-एक/15 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	सिंह अब भूमि क्रय करने के इच्छुक नहीं है तथा अनावेदक क्रं0 2 हरीराम पटेल आवेदित सम्पूर्ण भूमि क्रय करने हेतु सहमत हैं । अतः आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम छिवलहा प.ह.नं. 26/16 स्थित भूमि खसरा नं. 203/1 रकबा 0.259 हैक्टर को अनावेदक क्रमांक 2 हरीराम पटेल पुत्र श्री मुन्नालाल पटेल, निवासी रेतनाका के पास, ग्वारीघाट पुरानी बस्ती तहसील व जिला जबलपुर को विक्रय की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :- 1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । यह निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित एवं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	